कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक टर्मलोन योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री इस्राएल खान पिता श्री यासीन खान निवासी ग्रा.+पो.–रामाराम, तह.–सुकमा जिला–सुकमा को फैंसी स्टोर व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 25.08.2015 को ऋण राशि रू.1.00 लाख (एक लाख रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था। जिस कारण वह रोजगार के लिए इधर–उधर भटकता रहता था। एवं आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री इस्राएल खान द्वारा फैंसी स्टोर का संचालन कर महीने में 05 से 07 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 05 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. गुड्स कैरियर योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री पवन कुमार बघेल पिता श्री बुधुराम निवासी ग्रा.+पो.–चौपेल, तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को गुड्स कैरियर व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 11.08.2014 को ऋण राशि रू.382375ण00 (तीन लाख बयासी हजार तीन सौ पचहत्तर रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व दुसरे के पास मजदूरी में वाहन चलाता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री पवन कुमार बघेल द्वारा गुड्स कैरियर योजना का संचालन कर महीने में 15 से 16 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 09 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. पेसेंजर वाहन योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री हड़मा राम दुधी पिता श्री दूल्लाराम निवासी ग्रा. चौपेल, पो.–पोंदुम, तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को पेसेंजर वाहन व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2015 को ऋण राशि रू.470625 (चार लाख सत्तर हजार छः सौ पच्चीस रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था। जिस कारण वह रोजगार के लिए इधर–उधर भटकता रहता था। एवं समय– समय पर मजदुरी का कार्य करता था। वह आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री हड़मा राम दुधी द्वारा पेसेंजर वाहन योजना का संचालन कर महीने में 14 से 15 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 01 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. ट्रैक्टर/ट्रोली योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री धनसिंह बघेल पिता श्री मुका राम निवासी ग्रा.– गंजेनार, पो.–कोडरीपाल, तह. –छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को ट्रैक्टर/ट्रोली व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2014 को ऋण राशि रू.689000 (छः लाख नवासी हजार रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार एवं कृषि कार्य एवं समय–समय पर मजदूरी कार्य करता था। वह आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री धनसिंह बघेल द्वारा ट्रैक्टर/ट्रोली योजना का संचालन कर कृषि कार्य को सम्भव किया गया है, एवं दुसरे जगह ट्रैक्टर चला कर वह महीने में लगभग 17 से 19 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 10 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, तथा सही समय पर कृषि के उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हुए कार्य संचालित किया जा रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. गुड्स कैरियर योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री मड़कम देवा पिता श्री मड़कम मल्ला निवासी ग्रा.–चिचोरगुड़ा पो.–मिसमा, तह.–कोन्टा जिला–सुकमा को गुड्स कैरियर व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2014 को ऋण राशि रू.382375ण00 (तीन लाख बयासी हजार तीन सौ पचहत्तर रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व मजदुरी में दुसरे के पास वाहन चलाता था। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में इन्हें यह पता चला कि ऋण के माध्यम से भी वाहन क्रय किया जा सकता हैं, और इनके द्वारा कार्यालय में आकर योजना संबंधी पूर्ण जानकारी लेकर आवेदन किया गया व चयन समिति द्वारा इन्हें चयन किया गया।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने के बाद श्री मड़कम देवा द्वारा गुड्स कैरियर योजना का संचालन कर महीने में 14 से 15 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 06 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

हरिभूमि

दिनांक 22.07.2015 पृष्ट क्रं. 13

सहायता | जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति से मिला सहयोग

देवा की चिंता अब हुई दूर

हरिभूमि न्यूज. सुकमा

सुकमा में जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति गुड्स कैरियर योजना के अन्तर्गत जिले के घुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोन्टा तहसील के ग्राम चिचोरगुड़ा निवासी मड़कम देवा पिता मड़कम मल्ला को 31 जनवरी 2014 को जिला स्तरीय चयन समिति में चयन पश्चात् गुड्स कैरियर माल वाहक वाहन छोटा हाथी के लिए ऋण सहायता राशि लाख चार लाख दो हजार पांच सौ रू प्रदान किया गया। हितग्राही मड़कम देवा कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था। जिस कारण वह रोजगार के लिए इधर-उधर भटकता रहता था एवं आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

■ बेरोजगार को मिली वाहन रूपी संजीवनी

हितग्राही मड़कम देवा को जनसमस्या निवारण शिविर में जानकारी मिली कि अन्त्यावसायी विभाग द्वारा बेरोजगारों को जीवन यापन हेतु ऋण सहायता प्रदाय किया जाता है। जिसकी जानकारी मिलते ही मड़कम देवा ने कार्यालय में आकर और विस्तृत जानकारी लेकर आवेदन जमा किया। जिसके फलस्वरूप उन्हें जिला स्तरीय चयन समिति में शामिल कर उनका चयन किया गया उसके बाद उन्हें ऋण देने की कार्यवाही की गई। इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद मड़कम देवा द्वारा गुड्स कैरियर माल वाहक वाहन छोटा हाथी का संचालन कर अपने परिवार की आजीविका चला रहा है एवं दूसरे बेरोजगारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए तथा प्रशासनिक सहयोग का उपयोग कर क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. (1.00 लाख) योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री पोड़ियामी पाण्डे पिता श्री हिड़मा निवासी ग्रा.– रामपुरम पो.–जिरमपाल, तह.–सुकमा जिला–सुकमा को किराना दुकान व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2014 को ऋण राशि रू.1०00 लाख (एक लाख रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व मजदूरी करता था, एवं बेरोजगार था। सही रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण वह आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री पोड़ियामी पाण्डे द्वारा किराना दुकान का संचालन कर महीने में 06 से 07 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 06 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग जनरल लोन (व्यक्तिमूलक) योजना (1.00 लाख) के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री विनोद कुमार ठाकुर पिता श्री कनसु राम निवासी ग्रा.व पो. –तालनार, तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को किराना दुकान व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2014 को ऋण राशि रू. 1.00 लाख रू. मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था। जिस कारण वह रोजगार के लिए इधर–उधर भटकता रहता था। एवं आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री विनोद कुमार ठाकुर द्वारा किराना दुकान का संचालन कर महीने में 06 से 07 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 05 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. डीजल ऑटो रिक्शा योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री बीड़ाराम कवासी पिता श्री आयता राम निवासी ग्रा.–मेखावाया,पो.–उरमापाल, तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को डीजल ऑटो रिक्शा व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 03.12. 2015 को ऋण राशि रू.204250 (दो लाख चार हजार दो सौ पचास रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था। समय–समय पर दुसरो का वाहन चलाता था। एवं अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ था, तथा उसे अपने आने वाले भविष्य की चिंता रहती थी।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री बीड़ाराम कवासी डीजल ऑटो रिक्शा चला कर वह महीने में लगभग 12 से 13 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 02 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपना एवं अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.

जिला–सुकमा (छ.ग.)

<u>सफलता की कहानी</u>

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री शंकर लाल करटामी पिता श्री बुधरा निवासी ग्रा.–बिरसठपाल पो.–पाकेला, तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को किराना दुकान व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 18.01.2016 को ऋण राशि रू.1^{o}50 लाख (एक लाख पचास हजार रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व मजदूरी करता था, एवं बेरोजगार था। सही रोजगार प्राप्त नहीं होने के कारण वह आपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री शंकर लाल करटामी द्वारा किराना दुकान का संचालन कर महीने में 05 से 06 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 02 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
जिला–सुकमा (छ.ग.)

सफलता की कहानी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित ज.जा. शहीद वीरनारायाण सिंह स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत जिले के हितग्राही श्री मानसाय पिता श्री महादेव निवासी ग्रा.व पो.–छिन्दगढ़ (बिनोवापारा), तह.–छिन्दगढ़ जिला–सुकमा को किराना दुकान व्यवसाय हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 18.01.2016 को ऋण राशि रू.1ण्50 लाख (एक लाख पचास हजार रू.) मात्र ऋण सहायता प्रदाय किया गया है।

हितग्राही द्वारा इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्ति के पूर्व बेरोजगार था, तथा मजदुरी कार्य करता था, परन्तु निम्न आय होने के कारण अपने परिवार की आजीविका नहीं चला पाता था।

इस कार्यालय से ऋण सहायता प्राप्त करने बाद श्री मानसाय द्वारा किराना दुकान का संचालन कर महीने में 05 से 06 हजार तक प्रतिमाह की कमाई कर आज दिनांक तक इनके द्वारा 03 किश्तों की राशि जमा करते हुए अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। एवं दूसरे बेरोजगारों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

कृषि व शिक्षा से ही संभाग का विकास संभव

हरिभूमि न्यूज. सुकमा

ग्राम उदय से ग्राम भारत उदय अभियान के द्वितीय चरण में जिले के एक दिवसीय प्रवास में पहुंचे संभाग आयुक्त दिलीप वासनीकर ने 19 अप्रैल को पाकेला में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला में शामिल हुए। इस किसान मेला मे जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, हुंगाराम मरकाम, श्रीमती कुसुम नाग, रमाकांत नायक सहित पाकेला के सरपंच व अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर नीरज कुमार बनसोड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनीवासगन एस की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। इस किसान मेला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा परीक्षण सहित कृषकों को 17 प्रतिशत नमक घोल के उपयोग

- पाकेला किसान मेला में शामिल हुए संभाग आयुक्त

से पुष्ट बीज का वितरण, बीज अंकुरण का परीक्षण, जैव उर्वरक एवं अन्य साधन द्वारा बीज उपचार, नीम कोटेट यूरिया का उपयोग, मृदा परीक्षण तकनीक और विभिन्न कृषि रसायनों का घोल बनाना एवं उनका सुरक्षित उपयोग का जीवन्त प्रदर्शन किया गया। साथ ही कृषि एवं कृषि विकास के संबंध में तथा पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग और उद्यानिकी विभाग के द्वारा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा किसान मेला में कृषकों को कृषि उपकरणों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। ग्राम पंचायत के माध्यम से कृषि विभाग, पशुधन विभाग,

मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग की विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए किसानों का पंजीकरण कर पात्रता अनुसार हितग्राहियों का चयन कर योजनाओं का लाभ देने के लिए चिन्हांकित किया गया। मेला में विभाग द्वारा पॉमप्लेट के माध्यम से प्रचार किया गया।इस अवसर पर बस्तर संभाग आयुक्त श्री वासनीकर ने कहा कि बस्तर में विकास शिक्षा व कृषि से ही संभव है। कृषकों के मेहनत से क्षेत्र में विकास की बहार बहेगी। शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभ लेना चाहिए तथा जागरूक किसान के रूप में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इस किसान मेला के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उनका लाभ लेते हुए जिले के विकास में सहयोग करें। सुकमा जिले के विकास कार्यों की प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है। आने वाले दिनों में सुकमा का नाम कृषि कार्यों के लिए भी जाना जाए ऐसी आयुक्त महोदय ने कृषकों से अपील की।

कलेक्टर श्री बनसोड़ ने किसान मेला में उपस्थित किसानों को कहा कि पाकेला के किसान बहुत जागरूक हैं, क्योंकि कृषि से संबंधित, अधिकांश आवेदन छिन्दगढ़ विकासखण्ड से प्राप्त होते हैं। किसान मेला में किसानों को विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही योजनाओं जानकारी का लाभ लेने की अपील करते हुए उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डेयरी विकास, हरियर बाड़ी योजना, भूमि समतलीकरण सहित अन्य योजनाओं का विभागों द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा के तहत संचालित कृषि कार्य, सोलर लाईट व्यवस्था, एनएमडीसी सीएसआर मद से प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कहा। साथ ही कृषकों को समय की मांग के आधार पर अलग-अलग फसल लेने के लिए अपील की। नदी किनारे के किसानों को नगदी फसल लेने, जैविक खेती के लिए लाईवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण की सुविधा और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उन्होंने उल्लेख किया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनीवासगन एस ने कहा कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कृषि कार्यों को सरल व सहज बनाए तथा अच्छी फसल का उत्पादन करें। वर्तमान समय में श्रमिकों की उपलब्धता कम हो रही हैं, इसलिए कृषि उपकरणों पर निर्भरता बढ़ रही हैं। इस अवसर पर इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुधीर सोम, विनय कुमार सोनी, उप संचालक कृषि श्री सिंह, उप संचालक पशुधन विभाग डॉ. सोनवाने, सहायक संचालक कृषि राकेश जोशी, ईई जल संसाधन विभाग ठाकुर, जिला अन्त्यावसायी अधिकारी मनहरण कोसले, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री राव सहित किसान उपस्थित रहे।

प्रोत्साहित किए

जिला अन्त्यावसायी विभाग के द्वारा छिन्दगढ़ के युवा को किराना दुकान संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उक्त दुकान का संभाग आयुक्त द्वारा अवलोकन कर युवा को बेहतर संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किए।